**श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 18.06.2021 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त।**

## उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. डॉ॰ समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री के0के0 जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
5. श्री आर0के0 मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड।
6. श्री एस0पी0 तिवारी, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि–अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. सुश्री महिमा, संयुक्त सचिव–कृषि, प्रतिनिधि–अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अपर सचिव–जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
12. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
13. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यकारी समिति के अधिकार एवं दायित्वों के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यकारी समिति की षष्ठम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.1:

## दिनांक 23.02.2021 को सम्पन्न हुई पंचम कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 23.02.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की पंचम बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.2: वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि व उसके विरूद्ध व्यय की प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

| | क्षतिपूरक वनीकरण | कैट प्लान | एन0पी0वी0 | अन्य | अर्जित ब्याज | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत कार्ययोजना | 5575.00 | 3000.00 | 11616.00 | 1443.00 | 875.00 | 22509.00 |
| अनुपूरक कार्ययोजना | 480.00 | 752.00 | 11073.00 | 550.00 | 0.00 | 12855.00 |
| **कुल अनुमोदित कार्ययोजना** | **6055.00** | **3752.00** | **22689.00** | **1993.00** | **875.00** | **35364.00** |
| अवमुक्त धनराशि * | 5519.57 | 3752.00 | 16085.74 | 1761.78 | 404.82 | 27523.91 * |
| व्यय | 4650.67 | 3454.58 | 15124.49 | 1174.86 | 403.11 | 24807.71 |
| **अवमुक्त के सापेक्ष व्यय %** | **84** | **92** | **94** | **67** | **99** | **90** |

** कुल अवमुक्त धनराशि रू० 275.23 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31–03–2021 तक कुल रू० 251.65 करोड़ की धनराशि आहरित की गई जिसके सापेक्ष MIS में अब तक कुल रू० 248.07 करोड़ व्यय की प्रविष्टि की गई है*

सदस्यों द्वारा व्यय में धीमी प्रगति के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को

अवगत कराया कि 90 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति गतवर्षों की तुलना में अपने आप में संतोषजनक है। व्यय में प्रगति के कारणों की समीक्षा पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत प्रगति कम परिलक्षित है, चूंकि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में चिन्हित भूमि पर पूर्व में राज्य की अन्य योजनाओं में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण होने के कारण भूमि की अनुपलब्धता है, जिस कारण क्षतिपूरक वनीकरण के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को शत–प्रतिशत पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही अन्य विशिष्ट कार्य मद के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण समेकित/Over all प्रगति कम प्रदर्शित हो रही है। इस मद में रीवर ट्रेनिंग हेतु गतवर्ष माह मार्च में धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, किन्तु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने तथा कार्यदायी संस्था के निर्धारण में अल्पाविध के चलते प्रभागों द्वारा व्यय नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा का 31.03.2021 तक का एकाउंट स्टेटमेंट जुलाई, 2021 के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.3: वर्ष 2020–21 के अंतर्गत सम्पादित मुख्य गतिविधियां/अभिनव कार्य एवं इनसे हुए रोजगार सृजन की स्थिति/आउटकम रिपोर्ट।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को विगत 02 वर्षों में उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सम्पादित मुख्य गतिविधियों/अभिनव कार्य एवं इनमें हुए रोजगार सृजन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया :–

- **मृदा एवं जल संरक्षण** के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न क्षमताओं के जलकुण्डों व उनसे विकसित हुई अनुमानित जल संग्रहण क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:–

जलग्रहण क्षमता (करोड़ ली0 में)

| वर्ष | विभिन्न क्षमता के जलकुण्ड | 2.5 लाख ली0 | 1 लाख ली0 | 50 हजार ली0 | 20 हजार ली0 | योग | व्यय धनराशि (लाख ₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | संख्या | 56 | 59 | 515 | 1059 | 1689 | **443.25** |
| | जलग्रहण क्षमता | 1.4 | 0.59 | 2.57 | 2.11 | **6.60** | |
| 2019–20 | संख्या | 86 | 229 | 349 | 435 | 1100 | **428.52** |
| | जलग्रहण क्षमता | 2.15 | 2.29 | 1.74 | 0.87 | **7.05** | |
| 2020–21 | संख्या | 72 | 263 | 508 | 1099 | 1942 | **744.59** |
| | जलग्रहण क्षमता | 1.8 | 2.63 | 2.54 | 2.19 | **9.16** | |

- चाल–खाल, धारा–नौला जीर्णोद्धार व चेक डैम निर्माण आदि कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–
    - उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में 4191 है0 कन्टूर ट्रेंचों का निर्माण।
    - 5030 चैक डेम ,चाल–खालों एवं धारा–नौला का निर्माण व जीर्णोधार ।

- समिति को प्रदेश की विभिन्न नदियों के पुनर्जीवन मद के अन्तर्गत कोसी नदी, क्षिप्रा नदी, खोह नदी, नयार नदी व गरूड़ गंगा के पुनर्जीवन सम्बन्धी सम्पादित किये गये कार्यों से भी निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

- अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी नदी के पुनर्जीवन में सम्पादित विभिन्न कार्य :–
    - 190 हे० क्षेत्र में 227000 पौधों का रोपण
    - 1180 चैक डैम,चाल–खालों का निर्माण एवं धारा–नौला का जीर्णोधार ।
    - 70457 कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
    - 190 है0 क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण का अनुरक्षण कार्य।
- नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के पुनर्जीवन में सम्पादित विभिन्न कार्य :–
    - 66 हे० क्षेत्र में वनीकरण कार्य
    - 450 चैक डेम/वानस्पतिक चैक डेम व चाल–खालों का निर्माण।
    - 44400 कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
    - 67 जलकुण्डों, 326 परकुलेशन टेंकों का निर्माण।
- लैंसडॉन वन प्रभाग के अंतर्गत खोह नदी के पुनर्जीवन में सम्पादित विभिन्न कार्य :–
    - 20 हे० क्षेत्र में ए0एन0आर0 कार्य ।
    - 402 चैक डेम/वानस्पतिक चैक डेम व चाल–खालों का निर्माण।
    - 167 है0 क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
- बागेश्वर वन प्रभाग में गरूड़ गंगा नदी के पुनर्जीवन के अंतर्गत सम्पादित कार्य :–
    - 53हे० क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य।
    - 75077 कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
    - 509 चैक डैम,चाल–खालों का निर्माण एवं धारा–नौला का जीर्णोधार ।

- वर्ष 2020–21 में मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत उपरोक्त विभिन्न कार्यों से लगभग 9 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित होनी अनुमानित है।

- उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में ₹ 5519.57 लाख की धनराशि से 2554 है० क्षतिपूरक वनीकरण सम्पादित, व 2736 है० क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य के अतिरिक्त पौध उगान व अनुरक्षण आदि कार्य सम्पादित किये गये हैं।

- वर्ष 2020–21 में ₹ 3369.72 लाख की धनराशि से प्रदेश में संचालित 10 कैट प्लानों के अंतर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 अनुसार विभिन्न कार्य सम्पादित किए गये हैं।
- वर्ष 2020–21 में 124 हे० बौनी प्रजाति, 636 हे० , 156 हे० रोड साइड, 10 हे० गैप फिलिंग, वृक्षारोपण सहित अन्य स्थल विशिष्ट कार्यों हेतु ₹ 1174.86 लाख की धनराशि का व्यय
- वर्ष 2020–21 में वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन मद के अंतर्गत कुल ₹ 778.01 लाख की धनराशि से विभिन्न कार्य सम्पादित किए गये हैं।
- वर्ष 2020–21 में वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु ₹ 201.20 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, प्रशिक्षण आदि विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल ₹ 757.66 लाख की धनराशि से उल्लिखित कार्य किये गये।
- समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत अच्छा प्रयास किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत हुए कार्यों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए वर्ष 2020–21 में प्रदेश के अंतर्गत बुग्यालों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु ₹ 640.47 लाख की धनराशि से विभिन्न सम्पादित कार्यों से अवगत कराया गया।
- वर्ष 2020–21 में ₹ 1136.22 लाख की धनराशि से 84 वन रक्षक चौकियों तथा 25 वॉच टावरों का निर्माण किया गया है।
- कुम्भ के दौरान जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने, इसके लिए खाई खुदान, दीवार निर्माण, हाथियों की कॉलर आई0डी0 सहित विभिन्न कार्यों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2020–21 में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत ₹ 777.46 लाख से 181 किमी सोलर फेन्सिंग, ₹ 1069.63 लाख से 56 किमी सुरक्षा दीवार निर्माण व मरम्मत कार्य, ₹ 406.00 लाख की धनराशि से 162 कि0मी0 हाथी रोधी खाई खुदान तथा ₹ 32.22 लाख से हाथियों की कॉलर आई0डी0 आदि विभिन्न गतिविधियां सम्पादित की गई।
- वर्ष 2020–21 में कॉर्बेट, कण्वाश्रम व चिड़ियापुर वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना/रखरखाव व वानर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 9.83 लाख की धनराशि से सम्पादित किए गये कार्य व इनके फोटोग्राफ्स भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये।
- वर्ष 2020–21 में ₹ 1116.79 लाख से 2165 किमी वन बटिया/अश्व मार्गों का रख रखाव कार्य किया गया।
- वर्ष 2020–21 में ₹ 331.53 लाख से 700 हे० ANRकार्य सम्पादित किया गया।

- विभाग में वन व वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण व इनकी उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 में ₹ 313.93 लाख से वन एवं वन्यजीव अनुसन्धान कार्य सम्पादित किये गये।
- समिति को वर्ष 2020–21 में कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों से सृजित मानव दिवसों की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा व्यय व सृजित मानव दिवसों की रिपोर्टस् को मासिक रूप से भारत सरकार के निर्देशानुसार उनके द्वारा तैयार प्रपत्र में आत्म निर्भर भारत योजना के तहत प्रेषित किया जाता है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट समिति के समक्ष निम्नानुसार जनपदवार प्रस्तुत की गई :–

| S.No. | District | Employment Generated (In person days) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ALMORA | 150350 |
| 2 | PITHORAGARH | 179085 |
| 3 | CHAMPAWAT | 36980 |
| 4 | BAGESHWAR | 91889 |
| 5 | NAINITAL | 746637 |
| 6 | UDHAM SINGH NAGAR | 168229 |
| 7 | UTTARKASHI | 475800 |
| 8 | TEHRI | 440230 |
| 9 | GARHWAL | 529580 |
| 10 | CHAMOLI | 600151 |
| 11 | RUDRAPRAYAG | 208320 |
| 12 | DEHRADUN | 878024 |
| 13 | HARIDWAR | 477734 |
| | **TOTAL** | **4983010** |

वर्ष 2020–21 में दिनांक 31–03–2021 तक आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित साप्ताहिक रिपोर्ट अनुसार विभिन्न कैम्पा कार्यों में सृजित मानव दिवसों की संख्या कुल 49.83 लाख (लगभग) से समिति अवगत हुई।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.4: वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना**

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना की दिनांक 23 फरवरी 2021 को सम्पन कार्यकारी समिति की संस्तुति एवं दिनांक 05 अप्रैल 2021 को सम्पन संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त ₹ 950.80 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी।

भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2021 को सम्पन्न राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की 12वीं बैठक में प्रारम्भिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा–वनीकरण, वनाग्नि सुरक्षा, मृदा एवं जल संरक्षण, लैंटाना उन्मूलन आदि गतिविधियों हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष प्रथम चरण में कुल ₹ 532.32 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, विभिन्न मदों में ₹ 178.86 करोड की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

धनराशि लाख रु0में

| घटक का नाम | संचालन समिति द्वारा स्वीकृत एवं भारत सरकार को प्रेषित ए0पी0ओ0 2021–22 | भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति | सैद्धांतिक स्वीकृति के सापेक्ष घटकवार अनुमोदन/स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| क्षतिपूरक वनी0 | 8346.53 | 8346.53 | 4667.00 |
| कैट प्लान | 10959.85 | 10959.85 | 0.00 |
| अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां | 2515.44 | 2515.44 | 0.00 |
| एन0पी0वी0 | 70309.08 | 30810.18 | 12919.00 |
| ब्याज | 2950.00 | 600.00 | 300.00 |
| योग | **95080.90** | **53232.00** | **17886.00** |

भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति ₹ 532.32 करोड़ के सापेक्ष ₹ 178.86 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं शेष ₹ 353.46 करोड़ धनराशि की विभिन्न गतिविधियों को भारत सरकार द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध कराए जाने तक Deffered किया गया है।

इस सम्बन्ध में समिति द्वारा वांछित सूचना भारत सरकार को अतिशीघ्र प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश दिये गये, जिससे कि उक्त कार्यों हेतु भी व्यय की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो सके। साथ ही निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर शासन से बजट प्राप्त होने की

स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को समय से फंड अवमुक्त/आवंटित किया जाय।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना, उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन के पश्चात अभी तक की अधिकतम आकार की वार्षिक कार्ययोजना है जिसकी भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, जो राज्य के लिए अब तक की कार्ययोजनाओं की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है। उक्त स्वीकृत मदों में धनराशि का मानकों के अनुरूप शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किये जाने व इसके लिए कैम्पा के अतिरिक्त विभागीय स्तर पर भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा विधिवत मॉनीटरिंग किये जाने की अपेक्षा की गई।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट/एक्शन टेकन रिपोर्ट एवं एम0आई0एस0 प्रगति रिपोर्ट

- **वार्षिक रिपोर्ट** :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संचालन समिति के समक्ष दिनांक 05.04.2021 को सम्पन्न पंचम बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है, जिसे उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइट www.ukcampa.org.in पर अपलोड किया गया है।

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी, सम्पूर्ण व्यय की एम0आई0एस0 प्रविष्टि तथा वर्ष 2020–21 की बेलेन्स शीट व आयकर विवरणी तैयार होने के उपरान्त प्रारम्भ की जाएगी।

  इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट कैम्पा अधिनियम के अनुसार तैयार करते हुए, (दिनांक 30 सितम्बर तक) इसमें संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सम्पादित गतिविधियों के सारांश के साथ–साथ उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत अभिनव कार्यो तथा अच्छे व खराब प्रगति प्रदर्शित करने वाले चार–पांच वन प्रभागों को भी इंगित करे। तैयार वार्षिक रिपोर्ट को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत, संचालन समिति व शासी निकाय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक, मुख्य कार्यकारी अधिकरी उत्तराखण्ड कैम्पा व अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा के हस्ताक्षर कर अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु, प्रस्तुत की जाये।
- **ऑडिट/एक्शन टेकन रिपोर्ट** :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा का महालेखा परीक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा तीन चरणों में वर्ष 2010–11 से वर्ष 2016–17 तक का ऑडिट/लेखा प्रमाणीकरण

कार्य पूर्ण कर ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिसको पूर्व में कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

ऑडिट रिपोर्ट/एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्ष 2016–17 के उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा के शेष अवधि का ऑडिट कार्य भी शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली ऑडिट रिपोर्ट में मुख्य उल्लिखित बिन्दु एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2017–18 एवं आगामी वर्षों का लेखा प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करवा कर, प्राप्त होने वाली ऑडित रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दुओं पर (यदि कोई) पर एक्शन टेकन रिपोर्ट को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत, संचालन समिति व शासी निकाय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियंत्रक, मुख्य कार्यकारी अधिकरी उत्तराखण्ड कैम्पा व अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा के हस्ताक्षर कर अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु, प्रस्तुत की जाये।

- **एम0आई0एस0 प्रगति रिपोर्ट** :– अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 के अंतर्गत सम्पादित कार्यों में हुए व्यय की, क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर से की जाने वाली समस्त एम0आई0एस0 प्रविष्टियां जुलाई प्रथम सप्ताह के अंतर्गत पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.6: तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त विवेचना/निष्कर्ष।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि :–

- उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य विभागीय स्तर पर मूल्याकन, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विभाग द्वारा कराये जा रहे कैम्पा कार्यों की आंतरिक मॉनिरिंग रिपोर्ट का सारांश एवं प्राप्त Findings को भी कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे व वित्त नियंत्रक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा व अध्यक्ष कार्यकारी समिति के हस्ताक्षर उपरांत इसे भी अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण को प्रस्तुत किया जाये।

- कैम्पा में तृतीय पक्ष का मूल्यांकन कार्य वन अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। **एफ.आर.आई., भारत सरकार द्वारा प्रेषित मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि वर्ष**

**2012–13 से वर्ष 2016–17 तक कराये गये वनीकरण कार्यों से सम्बन्धित है, की औसत सफलता प्रतिशत 20 से 65 प्रतिशत के मध्य प्राप्त हुई है।** एफ.आर.आई. से प्राप्त मॉनिटरिंग रिपोर्ट कुल 15 volume **में लगभग 8000 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी है,** जिनको विश्लेषण उपरान्त सारांश तैयार कर, सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को उनके नियंत्रक अधिकारियों को अग्रेत्तर कार्यवाही/सुधार के दृष्टिगत प्रेषित किया जाना है।

- कैम्पा कार्यों के अनुश्रवण को अधिक प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिगत तृतीय पक्ष मॉनिटरिंग हेतु **राष्ट्रीय स्तर पर आर.एफ.पी. प्रकाशित कर टेण्डर आमंत्रित किये** जाने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु गतवर्ष आर.एफ.पी. हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे किन्तु कोविड महामारी के दृष्टिगत पूर्ण प्रतिभागी प्राप्त न होने के कारण **निविदाओं को निरस्त किया गया था।**

इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि तृतीय पक्ष एफ0आर0आई0 से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की प्राप्त रिपोर्ट का सारांश भी भविष्य में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं इस सम्बन्ध में उचित होगा कि एफ0आर0आई0 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की अध्यक्षता में एक सूक्ष्म प्रस्तुतीकरण (पी0पी0टी0) करवा लिया जाए, जिससे उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यों की Reports/Findings अनुसार विश्लेषण उपरान्त सुधार की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही यदि उनके स्तर पर कोई रिपोर्ट लम्बित हो तो उसे भी पूर्ण करवाकर तत्काल प्राप्त किया जाए। भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों की रिपोर्ट सितम्बर, 2021 तक उन्हें प्रस्तुत की जानी है, अतः इस हेतु तद्नुसार एफ0आर0ई0 को अवगत कराया जाए।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 6.7:अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

- अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्देश दिये गये कि विभिन्न वन प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का तृतीय पक्ष द्वारा किए जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु तैयार की गई आर0एफ0पी0 हेतु निविदा प्राप्त करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए एवं वन विभाग द्वारा कार्यों की समवर्ती मूल्यांकन का कार्य भी किया जाए।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा कैम्पा से सम्बन्धित समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विधिवत स्वीकृतियां सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली जाए। बिना धनराशि अवमुक्त हुए अथवा प्रत्याशा में कार्य कदापि न सम्पादित किया जाए।

- समस्त सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि कैम्पा से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां कैम्पा की वेबसाइट www.campa.uk.gov.in पर भी लॉगइन कर प्राप्त की जा सकती है।

- समिति को अवगत कराया गया कि "दिनांक 04 जून 2021 को अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव शासी निकाय महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यकारी समिति के माध्यम से आगामी शासी निकाय की बैठक हेतु एजेन्डा प्रस्तावित किया जाना है। अतः तद्नुसार शासी निकाय हेतु निम्न प्रकार एजेण्डा प्रस्तावित किया गया" :–

  1. कैम्पा अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत राज्य कैम्पा व निधि का गठन एवं भारत सरकार से प्राप्त राज्यांश एक दृष्टि में।
  2. वर्ष 2020–21 के अंतर्गत संपादित अभिनव कार्य एंव इनसे हुए रोजगार सृजन की स्थिति
  3. कैम्पा कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
  4. वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्तावित स्वरूप एवं उसके सापेक्ष स्वीकृत कार्यो हेतु मार्ग दर्शन

- अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की आगामी बैठक माह अक्टूबर, 2021 में आयोजित किए जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 174 /का0स0(6) दिनांक, देहरादून, 01 जून, 2021 जुलाई

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, उत्तराखण्ड–विशेष आमंत्री।
7. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
8. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
9. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
10. प्रतिनिधि–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।
11. प्रतिनिधि–उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उ0 कैम्पा।

(जे॰एस॰ सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 174 (1)/का0स0(6) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जे॰एस॰ सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।